



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-पी.एच.-अ.-23112021-231307
CG-PH-E-23112021-231307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]
No. 584]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पुदुच्चेरी, 23 फरवरी, 2021

सं. एफ. 39-4/2019-सीयू I, दि. 03-02-2021.—पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की धारा संख्या 53 की धारा (26) खंड (3) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय-कार्यकारिणी परिषद के द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के साथ पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं :

6. जीवविज्ञान विद्यापीठ

(i) विभागों के नाम (क) जैव रसायन विज्ञान और आण्विक जीवविज्ञान विभाग (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (ग) पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग (घ) महासागर अध्ययन और समुद्री जैव विज्ञान विभाग (ङ) खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (च) सूक्ष्म जैविकी विभाग (छ) जैव सूचना विभाग

(i) इन संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय (संशोधन संबंधी) संविधि 2021 कहा जा सकता है।

(ii) ये संशोधन आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, 1985 संविधियों के अंतर्गत, संविधि 16 (5)(ए) में: "जैव सूचना विभाग"-इन शब्दों को उपखंड 6 (i)(छ) के तहत समाविष्ट किया जाये।

2) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, 1985 संविधियों के अंतर्गत, संविधि 16 (5)(ए) में: उपखंड 6 (ii)(क) के तहत "जैव सूचना केंद्र"-इन शब्दों को हटा दिया जाये।

प्रो.अमरेश सामंतराय, कुलसचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./413/2021-22]

ध्यान दें :

1) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, 1985 संविधियों के अंतर्गत, संविधि 16 (5)(ए) में: "जैव सूचना विभाग"-इन शब्दों को उपखंड 6 (i)(छ) के तहत समाविष्ट किया गया है।

2) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय, 1985 संविधियों के अंतर्गत, संविधि 16 (5)(ए) में: उपखंड 6 (ii)(क) के तहत "जैव सूचना केंद्र"-इन शब्दों को हटा दिया गया है।

3) पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम- 1985 की संविधियों को पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के साथ उक्त अधिनियम के एक परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया था, और इन संविधियों का अंतिम संशोधन मिसिल संख्या 39-4/2019-

सीयू-I दि 03.02.2021 के तहत किया गया है।

PONDICHERRY UNIVERSITY

NOTIFICATION

Puducherry, the 23rd February, 2021

No. F.39-4/2019-CU I dated 03.02.2021.— In exercise of the powers by Section (26) Clause (3) of Pondicherry University Act of No.53 of 1985, the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Statutes of the Pondicherry University Act 1985 namely:

6. School of Life Sciences:

(i) Name of the Departments: (a) Department of Bio Chemistry and Molecular Biology (b) Department of Bio Technology (c) Department of Ecology and Environmental Sciences (d) Department of Ocean Studies and Marine Biology (e) Department of Food Science and Technology (f) Department of Microbiology (g) Department of Bio informatics.

(i) These Statutes may be called as the Pondicherry University (Amendment) Statutes 2021.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. In the Statutes of Pondicherry University, 1985, In Statute 16 (5)(a) the word “ Department of Bio informatics” to be added as sub-clause 6 (i)(g).

2. In the Statutes of Pondicherry University, 1985, the word “Centre for bio informatics” in Statute 16 (5)(a) in sub clause (6)(ii) (a) **to be deleted.**

Prof. AMARESH SAMANTARAYA, REGISTRAR (i/c)

[ADVT.-III/4/Exty./413/2021-22]

Note:

- 1) The word “Department of Bioinformatics” is added as sub clause 6 (i)(g) under of Statute 16(5)(a).
- 2) The word “Centre for Bio informatics” is deleted under sub clause 6 (ii)(a) under of Statute 16(5)(a).
- 3) Statutes of the Pondicherry University Act, 1985 were published along with the Pondicherry University Act, 1985 as a Schedule annexed to that Act and were last amended F.No. 39-4/2019-CU-I , dated 03.02.2021.